

मुकदमा  
60/2019

न्यायालय उप तहसीलदार सिंधाना जिला झुन्झुनू (राज0)  
किस्म मुकदमा  
धारा 91 एल.आर.एक्ट  
रज्जु दिनांक  
26.06.2019

निर्णय दिनांक  
11.09.2019

उनवान सरकार बनाम सुरेश, प्रेमचन्द पुत्रान गोदाराम जाति गुर्जर निवासी भोदन  
तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

—: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का थली ने सम्बत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट  
प्रस्तुत की है कि ग्राम भोदन की राजकीय भूमि ख0 न0 571 कुल रकबा 8.41 है0 किस्म गै0  
मु0 चोब (0.96 है0) व गै0 मु0 जोहड़ (7.45 है0) में से 0.04 है0 भूमि पर अतिक्रमी सुरेश,  
प्रेमचन्द पुत्रान गोदाराम जाति गुर्जर निवासी भोदन में अवैध रूप से चार दीवारी व मकान  
बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी  
को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर  
तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबूत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा  
किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी  
द्वारा राजकीय भूमि में चार दीवारी व मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है।  
अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट  
पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से चार दीवारी व मकान  
बनाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान /- का अतिक्रमण  
शुदा भूमि के ख0 न0 571 लगान 1 की 50 गुणा जुर्माना राशि 50/- बतौर शास्ति कायम  
किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को वारंते जमा  
कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत  
भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील  
दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

उप तहसीलदार सिंधाना

.....  
.....  
.....

.....